

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता), बारां

क्रमांक:-एफ 9/सहायता(121)बाढ/रेस्टोरेशन/2024/1375

दिनांक:- 07/10/2024

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष-2024 के दौरान बारां जिले में हुई अतिवृष्टि/बाढ/जलप्लावन के कारण क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के तत्काल रेस्टोरेशन हेतु संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ8(34)आ.प्र.एवं सहा./बाढ/प्रस्ताव/2024/Rajkaj Ref 5958-64 जयपुर दिनांक 25.09.2024 से जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुसार बजट मद 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 02-बाढ, चक्रवात आदि, 107- खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनर्स्थापना, 02-बाढ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत 01- बाढ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत 21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) प्रतिबद्ध (केन्द्रीय सहायता 75% एवं राज्य निधि 25%) के अन्तर्गत निम्नांकित क्षतिग्रस्त आंगनबाडी केन्द्रों के मरम्मत कार्यों की जिला स्तरीय प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है।

उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बारां नोडल अधिकारी रहेंगे तथा निम्नांकित स्वीकृत कार्यों को सम्पादित कराने हेतु कार्यकारी एजेन्सी जिला परिषद, बारां रहेंगी जो अपने स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगी। नोडल अधिकारी एवं कार्यकारी एजेन्सी को निर्देशित किया जाता है कि आपस में समन्वय कर निम्न कार्यों की तकनीकी स्वीकृति अविलम्ब जारी कर भिजवाए।

आंगनबाडी केन्द्रों के मरम्मत कार्यों का सारांश-

क्र. सं०	कार्यकारी विभाग/संस्था	ब्लॉक	स्वीकृत कार्यों की संख्या	कुल स्वीकृत राशि (लाखों में)	विवरण
1	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बारां	बारां	05	12.50	विभाग के खण्ड व कार्यवार विवरण निम्नानुसार अंकित है।
		किशनगंज	22	55.00	
		शाहबाद	02	03.50	
योग			29	71.00	

विभाग- उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बारां (नोडल अधिकारी)

कार्यकारी विभाग- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बारां

क्र. सं.	1-आंगनबाडी केन्द्रों के मरम्मत कार्य (ब्लॉक किशनगंज)	क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का विवरण	प्रशासनिक स्वीकृति लाखों में
1	आंगनबाडी भवन रानीबडौद-2	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, गेट क्षतिग्रस्त	2.50
2	आंगनबाडी भवन महारावता-2	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, गेट क्षतिग्रस्त	2.50
3	आंगनबाडी भवन बरुनी	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, गेट क्षतिग्रस्त	2.50
4	आंगनबाडी भवन सुहावन	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, गेट क्षतिग्रस्त	2.50
5	आंगनबाडी भवन सोडाना-2	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, गेट क्षतिग्रस्त	2.50
6	आंगनबाडी भवन बकनपुरा-3	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, गेट क्षतिग्रस्त	2.50
7	आंगनबाडी भवन हीरापुरा	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, गेट क्षतिग्रस्त	2.50
8	आंगनबाडी भवन ढिकोनीया	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, गेट क्षतिग्रस्त	2.50
9	आंगनबाडी भवन रेलावन-1	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, गेट क्षतिग्रस्त	2.50
10	आंगनबाडी भवन रामगढ-1	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, गेट क्षतिग्रस्त	2.50
11	आंगनबाडी भवन रामगढ-2	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, गेट क्षतिग्रस्त	2.50

12	आंगनबाड़ी भवन थाना	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, गेट क्षतिग्रस्त	2.50
13	आंगनबाड़ी भवन लाढ़खेडा	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, गेट क्षतिग्रस्त	2.50
14	आंगनबाड़ी भवन खैरुना-1	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, गेट क्षतिग्रस्त	2.50
15	आंगनबाड़ी भवन ठूगनी	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, गेट क्षतिग्रस्त	2.50
16	आंगनबाड़ी भवन इकलेरा	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, गेट क्षतिग्रस्त	2.50
17	आंगनबाड़ी भवन खण्डेला	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, गेट क्षतिग्रस्त	2.50
18	आंगनबाड़ी भवन खण्डेला-2	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, गेट क्षतिग्रस्त	2.50
19	आंगनबाड़ी भवन रामपुरटोडिया	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, गेट क्षतिग्रस्त	2.50
20	आंगनबाड़ी भवन माधोपुरा	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, गेट क्षतिग्रस्त	2.50
21	आंगनबाड़ी भवन लक्ष्मीपुरा	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, गेट क्षतिग्रस्त	2.50
22	आंगनबाड़ी भवन रणवासी	छत, दिवार, फर्श, खिडकी, गेट क्षतिग्रस्त	2.50
योग			55.00
2-आंगनबाड़ी केन्द्रों के मरम्मत कार्य (ब्लॉक बारां)			
1	आंगनबाड़ी भवन संबलपुर	छत, दिवार, फर्श, क्षतिग्रस्त	2.50
2	आंगनबाड़ी भवन बरानी	छत, दिवार, फर्श, क्षतिग्रस्त	2.50
3	आंगनबाड़ी भवन पाठेडा-1	छत, दिवार, फर्श, क्षतिग्रस्त	2.50
4	आंगनबाड़ी भवन कोटडी सूण्डा II	छत, दिवार, फर्श, क्षतिग्रस्त	2.50
5	आंगनबाड़ी भवन उल्थी	छत, दिवार, फर्श, क्षतिग्रस्त	2.50
योग			12.50
3-आंगनबाड़ी केन्द्रों के मरम्मत कार्य (ब्लॉक शाहबाद)			
1	आंगनबाड़ी भवन देवरी-1	दिवार में दरारे, क्षतिग्रस्त छत, फर्श, खिडकी, दरवाजा	1.00
2	आंगनबाड़ी भवन मंडी भौरा	दिवार में दरारे, क्षतिग्रस्त छत, फर्श, खिडकी, दरवाजा	2.50
योग			3.50
महायोग			71.00

उक्त कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की गई है, जिनकी पूर्ण पालना की जावे :-

1. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बारां के आंगनबाड़ी केन्द्रों के रेस्टोरेशन कार्यों हेतु कार्यकारी एजेन्सी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बारां रहेगी जो निर्माण कार्यों का निष्पादन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, सार्वजनिक निर्माण विभाग वित्तीय एवं लेखा नियमों, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
2. इस स्वीकृति के तहत प्रारम्भ कार्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के भीतर हर हाल में पूर्ण किया जावे। उसके बाद भी कोई कार्य अधूरा रहता है तो उसे विभागीय बजट मद से ही पूर्ण करना होगा तथा भुगतान का दायित्व भी संबंधित कार्यकारी एजेन्सी का होगा।
3. स्वीकृत सभी कार्यों को 30 दिवस के अन्दर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
4. सम्पादित कार्यों की एवज में देय राशि हेतु कार्यकारी एजेन्सी द्वारा स्वीकृत कार्य को वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्ण किया जाकर कार्यवार व्यय राशि का पूर्ण विवरण, कार्य प्रारम्भ से पूर्व एवं पूर्ण होने के पश्चात् का फोटोग्राफ (कॉडिनेट्स), कार्य पूर्णता उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं माप पुरस्तिकाओं में दर्ज मूल्यांकन की छाया प्रतियों के साथ बिल 30 दिसम्बर, 2024 के पूर्व प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
5. डिफेक्ट लाईबिलिटी अनुबन्ध में जो क्षति अनुबन्ध के अनुसार संवेदक के व्यय पर मरम्मत योग्य है उन कार्यों पर मरम्मत का व्यय इस स्वीकृति एवं राशि के अधीन नहीं करवाया जावे।
6. उक्त स्वीकृत कार्यों को करवाते समय इस बात को सुनिश्चित किया जावे कि मानसून के दौरान बरसात आने के कारण किया जा रहा व्यय निरर्थक न हो जावे।

7. यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित आंगनबाड़ी केन्द्रों के मरम्मत कार्यों का उपयोग जन सेवाओं के लिए निरन्तर लिया जा रहा है।
8. कार्यकारी संस्था के पास संधारण एवं मरम्मत मद से उपलब्ध विभागीय राशि के उपयोग कर लिये जाने के उपरान्त ही इस मद की राशि का उपयोग किया जावेगा।
9. कार्यों का निष्पादन वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त ही किया जावेगा।
10. एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के नोर्स एवं विभागीय दिशानिर्देशों की पालना की जाना आवश्यक होगा। सहायता विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के निर्देशों की पालना आवश्यक होगी।
11. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, जयपुर के जारी दिशा निर्देश एफ.8(1)आ.प्र.एवं सहा./बाढ/2024 राजकाज 8981275 दिनांक 16.07.2024 एवं तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
12. "कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया गया है" इस आशय की उपखण्ड स्तरीय समिति की निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही भुगतान किया जावेगा।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)

जिला कलक्टर, बारां

दिनांक:- 07/10/ 2024

क्रमांक:-एफ 9/सहायता/2024/ 1376-83

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 मुख्य लेखाधिकारी, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 उपखण्ड अधिकारी, बारां/अटारू/मोंगरोल/किशनगंज/शाहबाद जिला बारां।
- 4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बारां
- 5 उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बारां
- 6 महिला एवं बाल विकास अधिकारी ब्लॉक बारां/किशनगंज/शाहबाद
- 7 कोषाधिकारी, बारां।
- 8 प्रभारी अधिकारी, लेखा/केश अनुभाग, जिला कलक्टर, बारां।

जिला कलक्टर,
बारां

Document certified by ROHITASHVA SINGH
TOMAR <osdbeawar@gmail.com>

Digitally Signed by ROHITASHVA
SINGH TOMAR
Designation : Collector & District
Magistrate
Date :07-10-2024 01:36:57